लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई) द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मेंहमरारा और कांत, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर में स्टैंडअलोन क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट 4.0 मिलियन टीपीए सीमेंट उत्पादन क्षमता के साथ डी.जी. सेट 1 मेगावाट हेतु परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 04.10.2024 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.–SIA/3(b)/2583/2024 के आलोक में डॉ0 महेन्द्र पाल, उप विकास आयुक्त, बक्सर (जिला पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 04.10.2024 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 31.08.2024 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। दिनांक 03.10.2024 एवं 04.10.2024 को माईकिंग द्वारा भी स्थानीय जनता को लोक–सुनवाई की सूचना प्रदान की गयी। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री रमेश कुमार यादव ने इकाई का उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं Corporate पर्यावरणीय रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को पावर प्वाईंट प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि यह प्रस्तावित नई इकाई है, जिसकी सीमेंट क्लिंकर ग्राइंडिंग प्रस्तावित क्षमता 4.0 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इकाई में 1250 केवीए क्षमता का डी.जी. सेट की स्थापना प्रस्तावित है। इकाई के पास प्रस्तावित प्लांट के लिए कुल परियोजना क्षेत्र 25.4963 हेक्टेयर है। कुल परियोजना क्षेत्र के अतिरिक्त 6.325 हेक्टेयर भूमि कम्पनी के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग भविष्य में उचित उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। कुल परियोजना क्षेत्र 25. 4963 हेक्टेयर में से, 8.4138 (कुल परियोजना क्षेत्र का 33 प्रतिशत) ग्रीनबेल्ट और वृक्षारोपण के तहत् विकसित किया जाएगा। परियोजना स्थल के 10 कि0मी0 के अन्दर कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारणय, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन नहीं है। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत रू0 558 करोड़ है। प्रस्तावित परियोजना में कुल 490 कि0ली0/दिन भू–जल का उपयोग किया जायेगा। संचालन के

दौरान लगभग 250 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रस्तावित परियोजना में कच्चा माल क्लिंकर (2.16 मिलियन टीपीए), जिप्सम (018 मिलियन टीपीए), फ्लाई ऐशॅ/पोंड ऐश (1.26 मिलियन टीपीए), स्लैग (0.5 मिलियन टीपीए), केल्साइण्ड क्ले (0. 5 मिलियन टीपीए), लाइमस्टोन (0.05 मिलियन टीपीए) का उपयोग किया जायेगा। ईंधन के रूप में कोयला (216 टीपीडी), डीजल (13.2 केएलडी) का उपयोग प्रस्तावित है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य निम्न है:–

(क) वायु गुणवत्ता प्रबंधन।

- निर्माण स्थल और कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव।
- सभी मूवमेंट एरिया को कंक्रीट किया जाएगा।
- पर्याप्त वनस्पति का विकास।
- निकास उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने के लिए गतिविधि के दौरान वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले निर्माण उपकरण तैनात किए जायेंगे।
- ढके हुए शेडों में रेत, मिट्टी, पत्थर, चिप्स जैसी निर्माण सामग्री का परिवहन।
- वाहनों का उचित रख–रखाव।
- निर्माण स्थल को ढंकना।
- कुल 35 बैग फिल्टर सभी सामग्री प्रबंधन और स्थानांतरण बिंदुओं पर स्थापित किए जायेंगे।
- साइलो में क्लिंकर, फ्लाई ऐश और सीमेंट का भंडारण किया जाएगा।
- जिप्सन एवं स्लैग का भंडारण ढके हुए शेडों में किया जाएगा।
- सभी कच्चे माल को संयंत्र परिसर के भीतर ढके हुए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ले जाया जाएगा।
- साड़को और भंडारण सुविधाओं के आस–पास के क्षेत्र की नियमित सफाई वैक्यूम स्वीपिंग मशीन द्वारा की जाएगी।
- स्टैक उत्सर्जन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) स्थापित किया जाएगा।
- उत्सर्जन को मानक सीमा के भीतर रखने के लिए सीमेंट मिल में बैग हाउस और विभिन्न स्थानांतरण बिंदुओं पर बैग फिल्टर जैसे कुशल वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जायेंगे।

(ख) ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन।

- शोर के स्तर को निर्धारित मानदंडों के भीतर रखने के लिए उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा।
- श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण जैसे ईयर प्लग, ईयरमफ्स आदि प्रदान किए जायेंगे।
- शोर के उत्पादन को कम करने के लिए नियमित अंतराल पर मशीनों को उचित रखरखाव, ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाएगी।

- डी.जी. सैट के अत्यधिक शोर को नियंत्रित करने के लिए एन्क्लोजर में इंसुलेटेड किया जाएगा।
- परियोजना की सीमा के चारों ओर ग्रीनबेल्ट विकसित किया जाएगा।
- शोर स्तर की नियमित निगरानी की जाएगी और संबंधित मशीनरी में सुधारात्मक उपाय अपनाए जायेंगे।

(ग) जल प्रदूषण प्रबंधन।

- निर्माण गतिविधि के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जल का कोई निर्वहन नहीं किया जाएगा।
- निर्माण गतिविधि शुरू करने के तुरंत बाद बरसाती पानी की नालियाँ बनाई जाएंगी।
- नालियों को साइट जल निकासी पैटर्न के अनुरूप उचित रूप से संरेखित किया जाएगा ताकि परिवर्तन न्यूनतम रखा जा सके और बाढ़ या मिट्टी का कटाव न हो।
- अपवाह को एकत्रित करने के लिए बरसाती पानी की नालियों को जलाशय की ओर मोड़ दिया जाएगा। इस संग्रहित जल का उपयोग सिविल निर्माण कार्यों एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करने में किया जाएगा।
- प्लांट (11 केएलडी) से घरेलू अपशिष्ट जल को एसटीपी (15 केएलडी क्षमता) में उपचारित किया जाएगा और उपचारित पानी (10 केएलडी) का उपयोग ग्रीनबेल्ट विकास/वृक्षारोपण में किया जाएगा।
- कूलिंग ब्लो डाउन पानी (95 केएलडी) को मिल स्प्रे में पुनः प्रसारित किया जाएगा।
- वर्षा जल संचयन के लिए ग्राइंडिंग यूनिट परिसर के अंदर वर्षा जल संचयन का अभ्यास किया जाएगा।
- पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी।

(घ) ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन।

- एसटीपी से उत्पन्न स्लज (1.2 किग्रा/दिन) का उपयोग ग्रीनबेल्ट विकास/वृक्षारोपण में खाद के रूप में किया जाएगा।
- यूज्ड एवं स्पेंट ऑइल (कैट 5.1) (8.0 केएलए), तेल युक्त अपशिष्ट अवशेष (5.2) (2.0केएलए), उत्पन्न होने का अनुमान है जिसे सीपीसीबी अधिकृत रिसाइक्लर को बेचा जाएगा।
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) 27.39 टीपीए उत्पन्न होने का अनुमान है, कचरे का निपटान नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), नियम 2016 के अनुसार किया जाएगा।
- प्रयुक्त लीड एसिड बैटरियां (50 नगध्वर्ष) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2020 के अनुसार अधिकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को भेजी जाएंगी या अधिकृत विक्रेताओं को बायबैक योजना में बेची जाएंगी।

- ई–कचरा (01 टीपीए) ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पंजीकृत विक्रेताओं को बेचा जाएगा।

(ड.) ग्रीन बेल्ट विकास / वृक्षारोपण प्रबंधन।

- 25.4963 हेक्टेयर के कुल संयंत्र क्षेत्र में से 8.4138 हेक्टेयर (कुल परियोजना क्षेत्र 33:) हरित पट्टी / वृक्षारोपण के तहत् विकसित किया जाएगा।
- शोर और प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित देशी पौधों की प्रजातियों को लगाने का प्रस्ताव दिया गया है: मैंगीफेरा इंडिका (आम), अजाडिरेक्टा इंडिका (नीम), डालबर्गिया सिस्सो (शीशम), टर्मिनलिया अर्जुन (अर्जुन), सिजीगियम क्यूमिनी (जामुन), पोंगामिया पिनाटा (करंज), रॉयस्टोनिया रेजिया (रॉयल पाम), एल्बिजिया लेबेक (सिरिस), डेलोनिक्स रेजिया (गुलमहर), टेक्टोना ग्रैंडिस (सागवान), फिकस रिलिजियोसा (पीपल), साराकासोका (अशोक), ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (पलाश) आदि और हरित पट्टी विकास के तहत् घनत्व बढ़ाने और प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए समान प्रजातियों लगायी जाएँगी।
- प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट विकास और वृक्षारोपण क्षेत्र आगामी 2 वर्षों में 21,035 पेड़ों की संख्या के साथ विकसित किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण का घनत्व 2500 पेड़ प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित किया जायेगा।

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक , जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण मुक्त वातावरण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। जागरूकता सिविर आयोजित कर लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जायेगी।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव / मंतव्य इस प्रकार हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री गुलाबचंद गुप्ता, (मुखिया), ग्राम–रहनुआँ, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना हमारे क्षेत्र में आ रही है। यह खुशी की बात है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिले का विकास होगा। इसके लिए जे0के0 सीमेंट को धन्यवाद करता हूँ।
2.	श्री गौरव सिंह, ग्राम–रघुनाथपुर, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के कारण क्षेत्र में रोजगार आयेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु कम्पनी द्वारा दिया गया सुझाव सही है।
3.	श्री अल्लाफ, ग्राम–रघुनाथपुर, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमारे गाँव का विकास होगा।

4.	श्री कंचन कुमार सिंह, ग्राम–रघुनाथपुर पंचायत, जिला–बक्सर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि इस परियोजना के तहत् रोड के किनारे एवं खाली जमीन में वृक्षारोपण किया जाय। साथ–ही–साथ इकाई परिसर के अंदर 33% क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाय। इनके द्वारा इस क्षेत्र में एक अस्पताल बनाने की माँग की गयी।

आम जनता द्वारा इस परियोजना के पक्ष में सहमति दी गयी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आम जनता की बातों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण न्यूनतम हो एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के बताये गये उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इकाई चालू होने से पहले कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था होनी चाहिए।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

23-10-24

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना

23/10/24

उप विकास आयुक्त,
बक्सर

उपस्थिति सूचि

मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स (जे.के.सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई), कमला टावर, कानपुर, उत्तर प्रदेश. 208001 द्वारा खेसरा संख्या–04,05,12 एवं अन्य, गाँव–मेंहमरारा और कांत, तहसील–डुमरांव, जिला–बक्सर से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान– प्रखंड कार्यालय, डुमरांव, जिला–बक्सर दिनांक 04.10.2024 समय–03:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Dr. [illegible]	[illegible], Buxar	[illegible]
2.	आशीष कुमार गुप्ता	अ० पदा. वि०रा०प्र०नि० पर्षद, पटना	[illegible] 4-10-24
3.	संदीप कुमार पाण्डेय	प्र० वि० पदा०, डुमराँव	[illegible] 4.10.24
4.	Manisha kumari	GM-DIC	[illegible] 04/10/24
5.	VIDYA BHUSHAN PATHAK	Project manager, DIC, Buxar	[illegible] 04/10/2024
6.	विनोद कुमार [illegible]	Stone, DRC	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	Ramesh K Yadav	EIA coordinator JM EnviroNet	R yadav
9.	Bhupendra Singh	JK Cement Ltd.	[illegible]
10	Vikash lal	BSPCB - Patna	Vikash lal
11	लाल प्रसाद	जगदीशपुर बिहार	Lal Prasad 8210715756
12	[illegible]	[illegible]	[illegible] 8084472801
13	Himanshu Rai	Arra, Bhojpur	9532734890
14	Sanjay Ray	Ara, Bhojpur	8910126679
15	Brahmdeo mishra	Kaithi	9939399027

16	Vinit Kr-Dubey	Repater, Raghunathpur	9572640922
17	Kanchan Kumar Singh	Vill+Post - Raghunathpur	7992420859
18	अरविन्द कुमार	रघुनाथपुर	7352587543
19	Binod Kumar	Raghunathpur	8102541937
20	मो० असलाम	रघुनाथपुर	9162257916
21	देवा कुमार	रघुनाथपुर	
22	बलिराम शर्मा	सोवाँ	
23	AJAY KUMAR SAH	DUMRAON	AJAY KUMAR SAH
24	Vikash Kumar	Kusumha	7369898967
25	Deepak Kumar	ARA	7250739065
26	Anil Kumar	KANT	Anil Kumar
27	Amit Jha.	Kusumha	Amit Jha
28	[illegible]		
29	Dinesh Kumar	Chakki	Dinesh Ku.
30	Arjun Kumar	DUMRAON	Arjun Kumar
31	Niranjan Kumar	Ara	Niranjan Kumar
32	कन्हैयाराम		
33	RAMESH KUMAR	DUMRAON	RAMESH KUMAR
34	DEEPAK KUMAR YADAV	HATA	Deepak Kumar Yadav
35	Jitesh Kumar Yadav	HATA	Jitesh Kumar Yadav
36	Chandan Kumar	Ara.	Chandan Kumar

37	Gaurav Singh	Maulabag Ara	Gaurav
38	रविन्द्र कुमार सिंह	[illegible] आरा	[illegible]
39	[illegible]	[illegible] आरा	[illegible]
40	सुशील कुमार सिंह	श्रीरामपुर	सुशील कुमार
41	संजीव कुमार ओझा	देवकुली	[illegible]
42	जितेन्द्र सिंह	[illegible]	[illegible]
43	Deepak Kumar Singh	village + Po Kant ps Brahmpur Dist - Buxar	Deepak Kum Singh
44	Bhaskar Rawat	J. K. Cement Ltd	[illegible]
45	Rajesh Dwivedi	J. K - Cement Ltd	[illegible]
46	Mahendra Joshi	JK Cement Ltd	[illegible]
47	Gajendra Singh	JK. cement	[illegible]
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			